

स्थायी अनुविभागीय अधिकारी(रा.) सूरजपुर जिला सूरजपुर(छ.ग.)

रा0प्र0क0 101.5012.6030003/ अ-62/2024-25

प्रारूप- 'ग'

(नियम 3(2) देखिये)

-: अनुज्ञा:-

प्रति

बालमुकुन्द आठ अनुपसाय

ग्राम रामनगर प.ह.नं.-23 रा0नि0म0- पचिरा

तहसील व जिला सूरजपुर छ0ग0

विषय:- वृक्ष कटाई हेतु अनुज्ञा ।

—0—

विषयांतर्गत आपका आवेदन दिनांक 28.02.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 28.02.2025 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 03.03.2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु नीलगिरी प्रजाति के वृक्ष की संख्या 07 है।

अभिलेख व स्थल निरीक्षण के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचती हूं कि ग्राम रामनगर प0ह0नं0- 23 रा0नि0म0 पचिरा तहसील सूरजपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 469 रकबा 0.07 हे0 भूमि पर 07 नग नीलगिरी के स्वरोपित वृक्ष स्थित है जिसे कृषि/व्यवसाय हित में काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः स्वरोपित वृक्षों की कटाई हेतु अनुज्ञा दी जाती है।

छ0ग0 वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1989(क. 9 सन् 1989) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927(1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छ0ग0 परिवहन(वन उपज) नियम 2001 का पालन नहीं किये जाने पर यह अनुज्ञा शुन्य होगी।



यह अनुज्ञा आवेदन दिनांक से 07 दिवस तक ही मान्य होगी।

दीन अकटर

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)
सूरजपुर

क्रमांक 351/अ.वि.अ./प्रवाचक/2025

सूरजपुर दिनांक 05/02/2025

प्रतिलिपि :-

- 1- कलेक्टर महोदय सूरजपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ ।
- 2- वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- तहसीलदार सूरजपुर को वृक्ष कटाई पश्चात् अभिलेख अद्यतन हेतु सूचनार्थ ।


313
अ.वि.अ. अधिकारी (सा.)
सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)
सूरजपुर